प्रपत्र – 8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प .....

–: आदेश :–

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....दियातरा..... व भू. अ. नि. ..... दियातरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार .....कोलायत..... / ~~नायब तहसीलदार~~ ..... की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ....श्वेतोलाई बुचान.... तहसील....कोलायत.... व जिला.....बीकानेर..... की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में खाता संख्या नया 66 पुराना 68 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्ट जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
I	श्वेतोलाई बुचान	नया 66 पुराना 68	ओमाराम भैराराम पुत्र मुलाराम के हिस्सा ब.हि.ब. मुला बाबु मेघा पुत्र रामाणताम के हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार रिकार्ड में दर्ज है।	कालम सं. 4 में अंकित प्रविष्टि में से मेघा नाम के स्थान पर मेघाराम दर्ज किया जावे शेष अंकन यथावत रहेगा।

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर .....

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

क्रमांक :– 656–657

दिनांक :– 20/11/19

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार ....कोलायत.... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री .....मेघाराम..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर .....

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2019.11.13 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested